



मिसिलसंख्या/ F. No. 26-04/2026-CIR-I (E-183612)

भारतसरकार/ Government of India

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय/ Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग/ Department of Agriculture & Farmers Welfare

वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय/ Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage

एन .एच ,4-फरीदाबाद ,हरियाणा/ N. H. IV., Faridabad (Haryana)

Website:-www.cibrc.nic.in, E-mail:- cibsecy@nic.in

Dated: February, 2026

PUBLIC NOTICE

Subject: Public Notice of agenda item No. 10.36 of 468th RC meeting at held on 12.01.2026- reg.

This is to inform all stakeholders/registrants/applicants etc. that, as per decision taken by the Registration Committee (RC) vide Agenda Item No. 10.36 during its 468th meeting held on 12.01.2026, wherein the Registration Committee has decided as under:

10.36	Addition of details of product to be imported and exported and chemical composition of technical as well as formulation in certificate of registration for export certificates of import for export in Fast Track Export category u/s 9(3) export.
	RC deliberated the agenda and approved the addition of following details in the Certificate of Registration and Label and Leaflet for export certificates of Import for Export in Fast Track Export category u/s 9(3) export: 1. Name and quantity of product to be imported 2. Name and quantity of product to be exported 3. Chemical composition of technical to be imported and chemical composition of formulation to be exported.

In view of the above, a public notice is hereby issued all stakeholders/registrants/applicants for submitting their applications under the Import for Export category u/s 9(3) Fast Track Export are required to mention the Chemical composition of Technical to be imported and Chemical Composition of Formulation to be exported in the FORM I, Label and Leaflets and also enter the same details during online submission of their applications in the CROP portal.

This issues with the approval of Secretary, CIB&RC.

Digitally signed by
Sangeeta Meena
Date: 06-02-2026
13:20:41

(Sangeeta Meena)
Section Officer CIR-I&II



मिसिलसंख्या/ F. No. 26-04/2026-CIR-I (E-183612)

भारतसरकार/ Government of India

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय/ Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग/ Department of Agriculture & Farmers Welfare

वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय/ Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage

एन .एच ,4-फरीदाबाद ,हरियाणा/ N. H. IV., Faridabad (Haryana)

Website:-www.cibrc.nic.in, E-mail:- cibsecy@nic.in

दिनांक: 6th फरवरी, 2026

सार्वजनिक सूचना

विषय: 12.01.2026 को आयोजित 468 वीं आरसी बैठक के एजेंडा आइटम संख्या 10.36 के संबंध में सार्वजनिक सूचना ।

सभी हितधारकों/पंजीकरणकर्ताओं/आवेदकों आदि को सूचित किया जाता है कि पंजीकरण समिति (आरसी) द्वारा 12.01.2026 को आयोजित अपनी 468वीं बैठक के एजेंडा मद संख्या 10.36 के अंतर्गत लिए गए निर्णय के अनुसार, पंजीकरण समिति ने निम्नलिखित निर्णय लिया है:

10.36	आयात और निर्यात किए जाने वाले उत्पाद का विवरण और तकनीकी एवं सूत्रीकरण संबंधी रासायनिक संरचना का विवरण निर्यात के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र में, साथ ही धारा 9(3) के तहत फास्ट ट्रेक निर्यात श्रेणी में आयात और निर्यात के लिए प्रमाण पत्र में शामिल करना अनिवार्य है।
	आरसी ने एजेंडा पर विचार-विमर्श किया और धारा 9(3) के तहत फास्ट ट्रेक निर्यात श्रेणी में निर्यात के लिए आयात के निर्यात प्रमाणपत्रों के पंजीकरण प्रमाणपत्र, लेबल और लीफलेट में निम्नलिखित विवरण जोड़ने को मंजूरी दी: 1. आयात किए जाने वाले उत्पाद का नाम और मात्रा 2. निर्यात किए जाने वाले उत्पाद का नाम और मात्रा 3. आयात किए जाने वाले तकनीकी उत्पाद की रासायनिक संरचना और निर्यात किए जाने वाले फॉर्मूलेशन की रासायनिक संरचना।

उपरोक्त के मद्देनजर, यह सार्वजनिक सूचना जारी की जाती है कि आयात-निर्यात श्रेणी के अंतर्गत धारा 9(3) फास्ट ट्रेक निर्यात के तहत आवेदन जमा करने वाले सभी हितधारकों/पंजीकृत व्यक्तियों/आवेदकों को आयातित तकनीकी सामग्री की रासायनिक संरचना और निर्यातित फॉर्मूलेशन की रासायनिक संरचना का उल्लेख फॉर्म I, लेबल और लीफलेट में करना आवश्यक है, और साथ ही CROP पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय भी यही विवरण दर्ज करना होगा। किसी भी संदेह की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण ही अंतिम माना जाएगा।

यह सचिव, CIB&RC की मंजूरी से जारी किया गया है।

(संगीता मीना)

अनुभाग अधिकारी, सीआईआर-1 & II